न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी– श्री विवेक व्यास (R.A.S.)
म्यूटेशन अपील संख्या – 02/2024
तारीख दायरा :– 15/2/2024
तारीख निर्णय :– 28.03.2024

अपीलान्ट :–

जफरूल्ला खान पुत्र मोहम्मद फरीद खान, आयु– 54 वर्ष
जाति–मुसलमान, निवासी–देसूरी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.)

–: विरूद्ध :–

रेस्पोडेन्ट :–

तहसीलदार देसूरी जरिये भूमिधारी राजस्थान सरकार

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान सरकार भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ना.क. संख्या 3972 स्वीकृति दिनांक 22.08.2023

उपस्थिति :–

1– श्री फिरोज खान शेख अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2– पैरोकार सरकार (भूमिधारी) श्री शंकरलाल नायब तहसीलदार।

निर्णय दिनांक :– 28.03.2024

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम देसूरी, तहसील – देसूरी में स्थित आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर कमशः 832, 833, 834, 835, 836, 837 कुल रकबा 2.09 हेक्टर लगान रूपये 14.63 /– अपीलान्ट का खरीद सुदा 1/2 हिस्सा आता है। जो अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 22.06.2023 का खरीद किया गया था। जिसका विकय विलेख उप पंजीयक देसूरी के कार्यालय में दिनांक 22.06.2023 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 277 पृष्ठ संख्या 65 कम संख्या 202303193101617 पर अपीलान्ट के पक्ष में पंजीबद्ध शुदा है। जिस वक्त रजिस्टर्ड विकय

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

विलेख के आधार पर हल्का पटवारी देसूरी द्वारा नामान्तरकरण सख्या 3972 भरते समय लिपिकिय त्रुटि, गलती व भूल से अपीलान्ट के पिताजी का नाम मोहम्मद खान दर्ज कर दिया जबकि रजिस्ट्री में अपीलान्ट के पिता का नाम मोहम्मद फरीद खान दर्ज है। जिससे वर्तमान जमाबंदी में मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद खान सही नाम मोहम्मद फरीद खान नाम दर्ज कराने की दुरूस्ती करावें। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 22.08.2023 को स्वीकृत किया गया है। प्रमाणस्वरूप विक्रय–विलेख, वर्तमान जमाबंदी व नामान्तरकरण की फोटो प्रतियां संलग्न है एवं उक्त खसरा नम्बर की भूमि श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार ग्राम देसूरी तहसील देसूरी में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्याायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के पिताजी का नाम मोहम्मद खान के बजाय सही नाम मोहम्मद फरीद खान दर्ज कर अपीलान्ट के पिताजी का नाम दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार देसूरी से जांच मंगवाई गयी। रेस्पोडेन्ट की जांच रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ/2024/446 दिनांक 19.02.2024 के अनुसार बेचान रजिस्ट्री संख्या 202303193101617 दिनांक 22.06.2023 के आधार पर ग्राम देसूरी का नामान्तरकरण संख्या 3972 दिनांक 22.08.2023 को खोला गया। जिसमें प्रार्थी का नाम जफरूल्ला खान के पिता का नाम मोहम्मद खान दर्ज हुआ जबकि बेचान दस्तावेज में अपीलान्ट के पिता का नाम मोहम्मद फरीद खान अंकित है। अतः ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 832 से लगाय 837 खाता संख्या 1174 में नामान्तरकरण संख्या 3972 के तहत दर्ज गलत प्रविष्टी जफरूल्ला खान पुत्र मोहम्मद खान के स्थान पर बेचान दस्तावेज अनुसार सही प्रविष्टी जफरूल्ला खान पुत्र मोहम्मद फरीद खान किया जाना उचित है।

अपीलान्ट अधिवक्ता का सुना गया एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। मामला नामान्तरकरण में प्रविष्टि शुद्धि का मामला है जिसकी दुरूस्ती की जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी

पेज लगातार 03 पर...

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड व पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विक्रय–विलेख कमांक 202303193101617 दिनांक 22.06.2023 में अपीलान्ट का नाम जफरूल्ला खान पुत्र मोहम्मद फरीद खान मुसलमान निवासी देसूरी की जगह नामान्तरकरण संख्या 3972 दिनांक 22.08.2023 में नाम जफरूल्ला खान पुत्र मोहम्मद खान दर्ज किया गया। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा ग्राम देसूरी का स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3972 दिनांक 22.08.2023 मे अपीलान्ट का नाम जफरूल्ला खान पुत्र मोहम्मद खान मुसलमान निवासी देसूरी की जगह जफरूल्ला खान पुत्र मोहम्मद फरीद खान मुसलमान निवासी देसूरी करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देसूरी को निर्णय की सत्यापित प्रति भेजकर अपीलान्ट का नाम जफरूल्ला खान पुत्र मोहम्मद फरीद खान मुसलमान निवासी देसूरी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है एवं राजस्व रेकर्ड में नाम संबंधित दुरूस्ती की जाकर नामान्तकरण की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
देसूरी